न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :-   अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:- 34 / 20   निर्णय दिनांक:-16.03.2021

1 श्री ईशाक पिता मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी करावाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1 श्री नरेश पिता गटू हरीजन जाति हरिजन निवासी करावाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 श्री मणीलाल पिता गटू हरीजन जाति हरिजन निवासी करावाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

3 श्री प्रवीण पिता कोदर पंडित जाति ब्रहमण निवासी करावाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

4 श्री मान तहसीलदार महोदयजी झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 111 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

सपठित 212 जा. दी.

उपस्थित :-श्री कालुराम डामोर वकील वादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गांव करावाडा के स्थायी निवासी है। वादी खेतीबाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। वादी व अन्य सहखातेदारों के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी मौजा करावाडा में खाता संख्या 11 खसरा नम्बर 2660 / 674, 2661 / 95, 2694 / 816, 542, 668, 669, 674, 686, 688, 694 कुल खेत किता 10 कुल रकबा 1.1402 हैक्टेयर होकर स्थित है। वाद कारण आज से एक माह पूर्व वादीयागण कॉलम संख्या 2 में अंकित वाद कारण आज से एक माह पूर्व वादी कॉलम संख्या 2 में अंकित अपने पारिवारिक बंटवारे की कब्जे काश्त विरासती आराजी में अपने 1 / 12 हिस्से में फसल बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहा था उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी की आराजी संख्या 668 रकबा 0.3640 हैक्टेयर में एक राय होकर जबरन अनाधिकृत रूप से जेसीबी व टेक्ट्रर लेकर प्रवेश कर विवाद उत्पन्न करने लगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को रोकने की कोशिश करने पर प्रतिवादीगण अपनी भुमि बताकर सीमा विवाद उत्पन्न करने लगे। जिस पर वादी ने वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पारिवारिक बंटवारे अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 समझने को तैयार ही नहीं हुए वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने की धमकी देने लगे। कमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

जिससे वाद प्रस्तुत कर पत्थर घडी करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

`वादी के कब्जे काश्त की विरासती आराजी होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जबरन झंगडा फंसाद कर परेशान कर वादग्रस्त भुमि पर अतिक्रमण करने वादी से झंगडा फंसाद व जान से मारने की धमकीया देने लगे की वादग्रस्त आराजी में वापस आना मत नही तो जान से खत्म कर देंगे। जबकि वादी का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने की बात करने लगे जिससे लगातार विवाद बढने से वाद कारण लगातार उत्पन्न होने लगा।

जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे वादी की खातेदारी आराजी मौजा करावाडा में खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 668, रकबा 0.3640 हैक्टेयर होकर स्थित है। ऐसे में प्रतिवादीगण लोगों द्वारा विवाद करने पाबंद करे की वादी को काश्त में रूकावट उत्पन्न करे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादीयागण खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। मौजा करावाडा में खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 668, रकबा 0.3640 हैक्टेयर पर पत्थर गढी करना उचित हैं

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है वादी के अपने कब्जे काश्त खातेदारी कृषि भुमि मौजा करावाडा में खाता संख्या 11, खसरा नम्बर 668, रकबा 0.3640 हैक्टेयर होकर स्थित की भुमि में पत्थर गढी करने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार झौथरी को आदेश दिये जाते है कि उच्च अधिकारीयों की निगरानी में विवादित भूमि की पत्थर गढी हेतु आवश्यकता होने पर राजस्व कर्मचारी पटवारी की टीम गठित कर एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने पुलिस का सहयोग लेवे। एवं पडौसी काश्तकारों को नोटिस देकर पत्थर गढी करावे।

अखिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अखिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा